

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3109
जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

लोक अदालत

3109. श्री अरुण भारती :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायालयों पर बोझ कम करने के लिए लोक अदालत की अवधारणा को क्रियान्वित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) वर्ष 2019 से अब तक देश में राज्यवार लोक अदालतों में भाग लेने वाले लोगों की संख्या कितनी है तथा निपटाए गए मामलों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या यह देखते हुए कि लोक अदालत केवल कुछ निश्चित दिनों पर ही आयोजित की जाती है, सरकार का यह विचार है कि यदि इस प्रयोजनार्थ जिला और तालुका स्तर पर नियमित रूप से अधिक बार लोक अदालतें आयोजित की जाएं, तो इसका प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है ?

उत्तर

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

(क) और (ख) : लोक अदालतों का आयोजन विधिक सेवा संस्थानों द्वारा ऐसे अंतरालों पर किया जाता है, जैसा वे न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने और मुकदमेबाजी से पूर्व चरण में विवादों को निपटाने के लिए उचित समझते हैं। लोक अदालतें स्थायी स्थापन नहीं हैं और संबंधित न्यायालयों द्वारा निर्दिष्ट लंबित न्यायालय मामलों को देखती हैं। चूंकि, लोक अदालतें स्थायी प्रकृति की नहीं होती हैं, इसलिए सभी अनसुलझे मामले संबंधित न्यायालयों को वापस कर दिए जाते हैं और अतः वे लोक अदालतों में लंबित नहीं रहते हैं।

वर्ष 2019 से, आयोजित लोक अदालतों की संख्या और राष्ट्रीय लोक अदालतों, राज्य लोक अदालतों और स्थायी लोक अदालतों (लोक उपयोगिता सेवाएं) द्वारा निपटाए गए मामलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्रमशः **उपाबंध-क, उपाबंध-ख** और **उपाबंध-ग** में दिया गया है।

(ग) और (घ) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009 के अधीन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को और अधिक लोक अदालतें आयोजित करने के लिए दिशा-निर्देश/निदेश जारी किए गए हैं, ताकि लंबित मामलों की संख्या कम की जा सके। प्रत्येक वर्ष, एनएएलएसए राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन के लिए कैलेंडर जारी करता है। वर्ष 2025 के दौरान, राष्ट्रीय लोक अदालतें 8 मार्च, 10 मई, 13 सितंबर और 13 दिसंबर को आयोजित

की जानी निर्धारित हुई हैं। राज्य लोक अदालतें स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित की जाती हैं।

और, कोविड के मद्देनजर ई-लोक अदालत की परिकल्पना की गई थी, जिससे उन लोगों के लिए न्याय तक अभिगम में काफी सुधार हुआ, जो अन्यथा लोक अदालतों में भाग लेने में असमर्थ थे। पहली ई-लोक अदालत 27.06.2020 को हुई थी और तब से 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र में ई-लोक अदालतें आयोजित की गई हैं, जिनमें 10.26 करोड़ मामले सुने गए, जिनमें से 1.12 करोड़ मामलों का निपटान किया गया।

श्री अरुण भारती संसद सदस्य - लोक सभा द्वारा 13.12.2024 को उत्तर देने के लिए उठाए गए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 3109 के उत्तर में निर्दिष्ट कथन

वर्ष 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 (सितंबर 2024 तक)के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों की अंतर्विष्ट सूचना का कथन (मुकदमा-पूर्व तथा लंबित मामले दोनों)

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र प्राधिकरण का नाम	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		निपटाए गए मामले					
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0	248	3997	3310	1536	2319
2	आंध्र प्रदेश	97415	37896	122839	647956	671612	139472
3	अरुणाचल प्रदेश	588	104	1054	1071	990	1463
4	असम	21596	12188	39642	113989	164445	129525
5	बिहार	164984	66451	151620	305483	357765	265649
6	चंडीगढ़	11188	2569	16833	15569	63764	31149
7	छत्तीसगढ़	57648	24464	134548	1125318	1664237	2374635
8	दादरा और नगर हवेली	2021	1768	172	1323	982	415
9	दमन और दीव	249	31	113	215	19650	8177
10	दिल्ली	71377	83006	154992	535025	671278	509192
11	गोवा	1565	351	1680	3934	3505	3007
12	गुजरात	193150	41584	748722	1185571	1863177	1584194
13	हरियाणा	103298	30298	123413	673487	985650	1010654
14	हिमाचल प्रदेश	25432	5971	35556	111150	150181	128235
15	जम्मू - कश्मीर	32177	13258	166544	390496	404665	446944
16	झारखंड	49228	53152	232473	1121405	2822947	3501128
17	कर्नाटक	281849	334681	1277856	3444607	14840452	10488183
18	केरल	128729	15010	68681	136101	57726	46886
19	लद्दाख	0	0	1463	1444	1781	1624
20	लक्षद्वीप	4	8	7	129	41	35
21	मध्य प्रदेश	234433	108365	347333	419776	536105	357346
22	महाराष्ट्र	428376	215837	2440375	4754239	3543736	3588920
23	मणिपुर	1994	204	794	1343	437	708
24	मेघालय	695	303	852	956	680	756
25	मिजोरम	495	218	790	4432	4087	951
26	नागालैंड	973	251	941	888	801	782
27	ओडिशा	43197	18329	35557	337065	348288	565104
28	पुडुचेरी	4194	1738	5084	6405	6297	3099
29	पंजाब	89016	32528	138175	392256	760712	840072
30	राजस्थान	219098	103060	286834	4572315	16586071	8240293
31	सिक्किम	165	30	110	232	126	76
32	तमिलनाडु	340594	88819	191604	447536	355762	243724
33	तेलंगाना	110838	47560	349902	1611677	5591849	13399009
34	त्रिपुरा	3354	382	1070	4814	15724	32884
35	उत्तर प्रदेश	2484405	1171022	5551793	18698973	31644594	28258464
36	उत्तराखंड	26058	8088	20882	67438	85032	58465
37	पश्चिमी बंगाल	62890	28596	133736	788082	1115532	1006326
	कुल योग	5293273	2548368	12788037	41926010	85342217	77269865

श्री अरुण भारती संसद सदस्य - लोक सभा द्वारा 13.12.2024 को उत्तर देने के लिए उठाए गए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 3109 के उत्तर में निर्दिष्ट कथन

वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 (सितंबर 2024 तक) के दौरान गठित राज्य लोक अदालतों तथा न्यायपीठों में निपटाए गए मामलों की अंतर्विष्ट सूचना का कथन (मुकदमा-पूर्व तथा लंबित मामले दोनों)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्राधिकरण का नाम	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		गठित न्यायपीठों की संख्या	निपटाए गए मामले	गठित न्यायपीठों की संख्या	निपटाए गए मामले	गठित न्यायपीठों की संख्या	निपटाए गए मामले	गठित न्यायपीठों की संख्या	निपटाए गए मामले	गठित न्यायपीठों की संख्या	निपटाए गए मामले	गठित न्यायपीठों की संख्या	निपटाए गए मामले
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	2	290	1	90	0	0	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	8493	11400	3585	30461	4874	12123	4999	6720	80	1825	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	47	118	6	25	24	91	1	4	0	0	0	0
4	असम	419	33084	6	1	136	13672	0	0	0	0	0	0
5	बिहार	931	1256	28	97	1	6	9	574	0	0	0	0
6	चंडीगढ़	12	28	26	1	69	37	30	538	32	1413	0	0
7	छत्तीसगढ़	610	1662	491	3475	187	228	124	139	0	0	0	0
8	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	दिल्ली	52	16340	300	195359	250	147103	60	11094	198	123151	182	141984
11	गोवा	5	81	8	777	30	3209	43	1308	13	245	8	329
12	गुजरात	4542	20611	2851	21880	5157	15546	3805	19717	12	244	1569	6544
13	हरियाणा	66040	124952	33774	52789	54762	115797	43135	230018	92	29196	0	0
14	हिमाचल प्रदेश	1865	68651	90	3205	260	22031	142	4198	59	2880	26	1126
15	जम्मू - कश्मीर	145	16774	125	9469	24	3271	225	76683	134	28170	138	26422
16	झारखंड	743	14341	607	79649	1310	22954	1523	10868	1495	33718	721	748810
17	कर्नाटक	3890	45165	1912	121884	412	2524	229	2632	0	0	0	0
18	केरल	1972	21408	721	4837	302	19226	607	23246	657	26231	291	1675
19	लद्दाख	0	0	0	0	4	32	4	240	0	0	0	0
20	लक्षद्वीप	2	0	0	0	0	0	3	3	1	1	0	0
21	मध्य प्रदेश	1166	10675	1714	14903	808	4110	1242	5367	1472	48996	548	1426
22	महाराष्ट्र	592	7932	22	605	6	28	30	341	38	580	2	1
23	मणिपुर	0	0	1	21	0	0	4	43	0	0	0	0
24	मेघालय	0	0	0	0	23	89	0	0	0	0	0	0

25	मिजोरम	112	552	27	147	17	204	41	1202	12	94	35	398
26	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ओडिशा	101	45210	239	4628	12	326	6	112422	3	244230	0	0
28	पुडुचेरी	49	699	24	392	42	262	47	743	38	492	12	181
29	पंजाब	803	4242	0	0	339	1108	6	15	154	2268	0	0
30	राजस्थान	3689	6522	607	34514	786	845	1202	1628	1086	1039	526	497
31	सिक्किम	120	560	110	158	110	636	150	887	143	784	78	468
32	तमिलनाडु	2181	16621	767	13117	759	13066	1295	16369	1336	34744	263	3104
33	तेलंगाना	1862	12352	1501	24327	2827	7363	2604	25365	2474	171817	1267	12089
34	त्रिपुरा	35	7353	12	6938	93	11624	19	2492	62	25637	11	3796
35	उत्तर प्रदेश	197	3916	200	100305	57	31414	30	259125	172	411941	224	59246
36	उत्तराखंड	72	27258	121	6166	25	8605	125	26498	102	17407	43	3816
37	पश्चिमी बंगाल	1307	25698	575	13853	774	74999	454	10830	0	0	0	0
	कुल योग	102056	545751	50451	744073	74480	532529	62194	851309	9865	1207103	5944	1011912

श्री अरुण भारती संसद सदस्य - लोक सभा द्वारा 13.12.2024 को उत्तर देने के लिए उठाए गए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 3109 के उत्तर में निर्दिष्ट कथन

वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 (सितंबर, 2024 तक) के दौरान स्थायी लोक अदालतों की बैठकों की संख्या (लोक उपयोगिता सेवाएं) तथा इन बैठकों में निपटाए गए मामलों की संख्या की अंतर्विष्ट सूचना का कथन													
क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्राधिकरण का नाम	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		वर्ष के दौरान बैठकें	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के दौरान बैठकें	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के दौरान बैठकें	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के दौरान बैठकें	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के दौरान बैठकें	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के दौरान बैठकें	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	1384	1608	431	1283	927	1406	1058	558	1349	1134	726	860
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	असम	263	38	99	12	141	56	213	56	195	97	83	13
5	बिहार	1754	688	977	203	482	221	313	157	0	0	0	0
6	चंडीगढ़	246	582	246	108	240	687	241	10945	239	11511	124	6978
7	छत्तीसगढ़	918	96	346	32	1045	1199	1224	2028	1174	6749	575	5536
8	दादरा और नगर हवेली दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	दिल्ली	516	19439	532	14765	791	17395	773	18682	781	19337	412	10713
11	गोवा	21	57	24	30	2	0	0	0	0	0	3	44
12	गुजरात	9	120	1	105	9	2238	1	8	0	0	0	0
13	हरियाणा	3578	45839	3413	9654	3547	30960	3416	72440	3659	107362	1821	33091
14	हिमाचल प्रदेश	38	112	6	10	9	11	0	0	0	0	0	0
15	जम्मू - कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	झारखंड	2738	10517	3554	1943	5144	32514	6216	26154	5826	35715	2958	14287
17	कर्नाटक	1578	6399	1069	3869	1292	5371	904	4588	603	4190	646	4573
18	केरल	276	442	336	248	212	1104	226	2564	415	1527	196	219
19	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21	मध्य प्रदेश	368	510	455	270	886	574	1176	608	1071	409	422	156
22	महाराष्ट्र	797	3304	541	249	918	765	1017	1208	1023	485	503	497
23	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ओडिशा	935	1870	583	1350	742	1561	753	1612	1041	1891	632	968
28	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	पंजाब	4504	8391	2868	3987	4538	9967	4902	14545	4969	20279	2573	9869
30	राजस्थान	4545	5254	1123	806	2960	3228	4435	5072	4230	5799	2600	2333
31	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	तमिलनाडु	245	47	236	80	671	272	1121	528	1119	427	553	237
33	तेलंगाना	181	3546	66	549	108	6674	118	7540	104	12746	37	7086
34	त्रिपुरा	147	208	1	0	44	81	70	162	97	157	65	70
35	उत्तर प्रदेश	4274	1230	2714	383	3961	1087	3720	1173	4476	2516	2005	1001
36	उत्तराखण्ड	461	379	156	522	484	765	590	510	649	432	375	245
37	पश्चिमी बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल योग	29776	110676	19777	40458	29153	118136	32487	171138	33020	232763	17309	98776
